स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

CA-17(44)/2025-26

21st August, 2025

The General Manager (MO) Bombay Stock Exchange Through BSE Listing Centre	The Asstt. Vice President National Stock Exchange of India Ltd. Through NEAPS

Sub: Extract of Newspaper Publication of Notice for intimation of 53rd AGM of SAIL

Dear Sir,

Please find attached copy of the extract of newspaper publication of the Notice of 53rd Annual General Meeting of SAIL, published in Financial Express and The Statesman (English) and Jansatta (Hindi) on 21st August, 2025. This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Steel Authority of India Limited

(M B Balakrishnan)
Executive Director (F&A) &
Company Secretary

Encl. As above.

PANELS WILL RECOMMEND ACTIONABLE ROADMAPS

Shah, Rajnath to head panels for economy, social reforms

ANIL SASI
New Delhi, August 20

TWO NEW INFORMAL groups of ministers (iGoMs) have been formed by the Centre under home minister Amit Shah and defence minister Rajnath Singh to prescribe reforms in the economic and social sectors, respectively.

Shah's panel comprises 13 members, including finance minister Nirmala Sitharaman and commerce and industry minister Piyush Goyal, with minister of railways, I&B and electronics & IT Ashwini Vaishnaw as the convener.

This group will focus on laying out the legislative and policy reform agenda in the technology and economic sectors, including finance, industry, commerce infrastructure, logistics, resources, science and technology, and governance.

The second 18-member grouping on social, welfare and security sectors is headed by defence minister Rajnath Singh. This will examine the scope for reforms in sectors including education, healthcare, defence, skilling, social welfare, housing, labour, etc. Others in this panel include road transport and highways minister Nitin Gadkari, agriculture minister Shivraj Singh Chouhan, with labour and sports minister Mansukh Mandaviya designated as its convener.

The groups have been set up following Prime Minister Narendra Modi's Independence Day address where he pressed home the need for next generation reforms and announced the setting up of a task force. "Current rules, laws, policies, and procedures must be redrafted to suit the 21st century and to align with the vision of making Bharat a developed nation by 2047," Modi had said.

Both groups have been asked to submit monthly reports on the progress made, followed by a consolidated reforms roadmap at the end of three months. Secretarial support for this would be provided by the finance ministry's department of economic affairs. The chairs of the two GoMs are vested with the mandate to invite ministers, secretaries and subject matter experts, as and when required.

A government source said these two panels are expected to go beyond just advisory roles and prescribe actionable roadmaps, with measurable outcomes to track these actions. Some of these metrics, sources said, include a calibrated and quantifiable reduction of compliance burden on citizens and businesses; driving employment generation and productivity enhancement, dismantling legacy bottlenecks and identifying reforms at the Central, state and municipal corporation levels.

The panels have also been tasked with suggesting legislative reforms that include repeal or changes to existing laws and readying the draft enabling legislations for futuristic sectors including digital health, fintech, the gig economy etc; identifying policy reforms; highlighting process-focused reform and institutional reforms that span the central, state and local levels.

DEVELOPMENT AGENDA

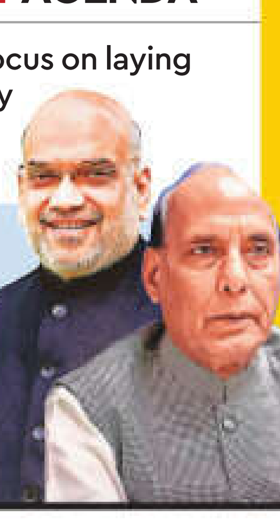

- Shah's panel will focus on laying out legislative, policy reform agenda in tech and economy
- This will comprises 13 members, including Sitharaman, Goyal and Vaishnaw
- The other 18-member group will be headed by Rajnath Singh
- This will examine the scope for reforms in education, healthcare, defence sectors

Trump's tariffs create 'urgency to transform India': Uday Kotak

GEORGE MATHEW
Mumbai, August 20

UDAY KOTAK, FOUNDER, KOTAK MAHINDRA GROUP

Policymakers and businesses should use trade war to get focused on productivity, efficiency, excellence and building world-class brands

KOTAK MAHINDRA GROUP founder Uday Kotak on Wednesday said the uncertainty of Donald Trump's tariff regime had created "a sense of urgency for transforming India" and offered "a great opportunity to pivot".

In an interview with the *Financial Times*, Kotak said policymakers and businesses should use the trade war to "get focused on productivity, efficiency, excellence and building world-class brands". "Manufacturing has to play a very important role", he said, advocating that producers should not focus on India's large domestic market to avoid the need for "cutting-edge precision".

"We must think about this as an opportunity for us to get out of our cruise mindset and from a comfort mindset to 'we are at risk'," he said.

He called for "direct fiscal support" from the government to "turbocharge" small businesses in manufacturing, research and technology. The government should channel more budgetary support to small and medium-sized businesses as the economy grapples with Donald Trump's punishing tariffs, Kotak told the *FT*.

India's economy has come under renewed strain after Trump's recent move to impose an additional 25% tariff on Indian exports to the US, on top of the earlier 25% "reciprocal" levy. The additional tariffs are linked to India's continued purchase of discounted Russian oil — a practice Trump claims indirectly supports Russia's war effort in Ukraine.

Analysts have warned that the dual tariff regime could shave off 0.5 to 0.7 percentage points from India's GDP growth, making it critical for India to respond with robust internal reforms. These tariffs have woken Indians up to the risks of global dependency and the urgent need to strengthen our domestic ecosystem.

Earlier, chairman of RPG Enterprises Harsh Goenka had vowed to raise resolve in response to increased Trump tariffs. "You can tariff our exports, but not our sovereignty. Raise your tariffs — we'll raise our resolve, find better alternatives, and build self-reliance. India bows to none," Goenka said in a X post.

Anand Mahindra, chairperson of the Mahindra Group, had urged India to respond to Trump's announcement of a steep 50% tariff with reform rather than retaliation.

"Let the unintended consequences we create be the most intentional and transformative ones of all," said Mahindra in a post on X.

US tariff hike to hit MSMEs in textiles, diamonds: Crisil

INDIA'S MICRO, SMALL and medium enterprises (MSMEs) in textiles, gems and jewellery, chemicals, and seafood are bracing for a severe setback as the US doubles its ad valorem duty on Indian imports to 50%, effective August 27. These sectors — together accounting for nearly a quarter of India's exports to the US — have significant MSME participation, with over 70% in textiles and gems, and 40% in chemicals.

"Partial absorption of the increased product prices due to higher tariffs will put pressure on MSMEs, squeeze their already-slim margins and pose a material challenge to their competitiveness," Pushan Sharma, director at Crisil Intelligence, said in a report.

The impact will be most acute in hubs like Tirupur and Surat. Tirupur's readymade garment (RMG) exporters, who alone contribute over 30% of India's RMG exports, will now face a steep 61% effective duty — double that levied on competitors in Bangladesh and Vietnam (31%). Surat's diamond polishers, responsible for 80% of India's diamond exports, will also be hit hard, with the US accounting for nearly a third of their overseas sales.

Seafood exporters, meanwhile, will struggle against Ecuador, which enjoys both a lower 15% tariff and geographic proximity to the US.

FE BUREAU

Cut reliance on Chinese goods, suggests GTRI

INDIA MUST WEAN itself away from the Chinese imports of critical industrial inputs as increasing dependence on these goods is adding to the country's external vulnerabilities and giving the northern neighbour a huge leverage at the time of crisis, according to Global Trade Research Initiative (GTRI).

The recent curbs by China on exports of rare earth minerals gave a glimpse of the vulnerability that India faces. For now curbs will be lifted but can be brought in again.

India's trade deficit with China of $ 100 billion becomes more serious as it dominates India's import basket in every major industrial category from pharmaceuticals and electronics to construction materials, renewable energy, and consumer goods.

FE BUREAU

Provide financial support to oil firms for storage: House panel

ARUNIMA BHARADWAJ
New Delhi, August 20

THE STANDING COMMITTEE on petroleum and natural gas has urged the oil ministry to provide funds to state-run oil companies for creation of storage caverns near their refineries and also to look at various options to increase the strategic storage capacity in line with the rising domestic demand.

Currently, the country has 5.33 MT of crude oil storage capacity at three different locations — Vishakhapatnam (1.33 MT), Mangalore (1.5 MT) and Padur (2.5 MT) — built under phase I of strategic petroleum reserve (SPR) program.

India has 5.33 MT of crude oil storage capacity at three different locations

"The committee are of the view that the existing refinery projects and the recently commissioned refineries may be asked to set up strategic storage capacity with a smaller capacity like 2 to 3 days at 5 to 6 locations which can bring up 15 to 20 days additional capacity in a definite time frame," it said.

Presently, the SPR and the commercial oil stocks held by refiners cumulatively account for 72-74 days of crude inventory, as per analysts, lower than the International Energy Agency recommended 90 days inventory.

While standalone strategic storage caverns at different locations also helps, capacities near the existing refinery may encourage the oil PSUs to establish and maintain them.

IOCL, BPCL resume buying of Russian oil

STATE-RUN REFINERS INDIAN Oil and Bharat Petroleum have bought Russian oil for September and October delivery, resuming purchases after discounts widened, two company officials said.

The resumption in Russian oil imports by the refiners could reduce supplies for top buyer China which had stepped up purchases during their absence.

The refiners halted purchases in July due to narrower discounts and after India was criticised by Washington for its purchases of Russian oil.

REUTERS

SG to SC: Governor can veto Bill without returning it

PARMOD KUMAR
New Delhi, 20 August


Solicitor General Tushar Mehta. ANI FILE PHOTO

The Central government on Wednesday told a five-judge Constitution Bench of the Supreme Court that a Governor is not a mere "post office" and, in his "wisdom," can withhold assent to a Bill, effectively rendering it inoperative, without returning it to the State legislature for reconsideration or reserving it for the President's approval.

Arguing before a Bench comprising Chief Justice BR Gavai, and Justices Surya Kant, Vikram Nath, Pamidighantam Sri Narasimha, and Atul S Chandurkar, SG Tushar Mehta said that under Article 200 of the Constitution, the Governor has powers beyond giving assent, sending a Bill back for reconsideration, or reserving it for the President.

Mehta stressed that the Governor may, in certain cases, indefinitely withhold assent, preventing the legislature from re-enacting it.

The SG maintained that such withholding could be exercised in rarest-of-rare cases, such as when a Bill exceeds legislative competence, threatens national security, violates fundamental rights, or encroaches upon another State's rights. He cited examples, including a legislature attempting to abolish reservations, restrict entry of outsiders as during the COVID-19 pandemic, mandate use of a single language, or disenfranchise citizens on the basis of sex or race.

Expressing concern, Chief Justice Gavai observed: "Are we not giving total powers to the Governor? The government elected by majority will be at the whims of the Governor."

The SG however, argued that the Governor is not a mere conduit but a constitutional authority appointed by the President, representing the will of the people, albeit indirectly through elected representatives in Parliament and State legislatures.

Justice Surya Kant, focusing on the core issue, remarked: "Possibly there can't be a serious dispute on the options—assent, withhold, send to the President, or return. The central point of debate is, what does 'withhold' mean? Does it imply reconsideration or return? And how much time should this process take?"

On timelines, Mehta questioned the 8 April judgment concerning the TN Governor, which required Governors to act "as soon as possible." He argued that Article 200 uses this phrase only in the context of returning a Bill for reconsideration, not for withholding, assent, or referral to the President—indicating that no constitutional time limit was intended.

The SG will continue his arguments on 21 August.

The Constitution Bench is examining a Presidential Reference made on 15 May, 2025, questioning whether the judiciary exceeded its jurisdiction by prescribing timelines for the President and Governors to act on Bills passed by State legislatures, and whether the concept of "deemed assent" violates the separation of powers.

CM Sai expands cabinet: 3 new faces signal generational shift in Chhattisgarh politics

SHISHIR ROY CHOWDHURY
Raipur, 20 August

Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai expanded his cabinet on Wednesday, inducting three first-time legislators in a move aimed at balancing caste, community, and regional representation. With this, the strength of the council of ministers has increased from 11 to 14, marking the first expansion of Sai's tenure.

The inclusion of three first-time legislators brings new faces into the state's political mainstream, signaling a generational shift in Chhattisgarh politics.

The new ministers include Rajesh Agrawal from Ambikapur, Gajendra Yadav from Durg City, and Guru Khushwant Saheb from Arang. All three won their Assembly seats last year by defeating senior Congress leaders, underscoring the BJP's strategy of rewarding fresh faces with ministerial responsibility.

Agrawal, who narrowly defeated former Deputy Chief Minister T S Singhdeo by just 94 votes, represents the influential trading community in northern Chhattisgarh. Yadav, associated with the RSS, secured a decisive victory over Congress veteran Arun Vora, while Saheb, son of revered Satnami spiritual leader Guru Baldas, unseated minister Shiv Dehriya in Arang, giving the Satnami community enhanced representation in the state cabinet.

Political observers note that the expansion reflects the BJP's effort to strengthen its social coalition by drawing leaders from the Vaishya, Yadav, and Satnami communities, while ensuring regional parity with representation from Surguja, Durg, and Raipur divisions.

"This expansion demonstrates the Chief Minister's intent to empower new leaders and broaden the government's social outreach," senior BJP leader Shiv Narayan Pandey told The Statesman. "It also signals continuity with the party's strategy of promoting emerging faces over entrenched factions."

The reshuffle comes amid speculation of further changes to existing portfolios. Analysts suggest that the move will consolidate Sai's leadership ahead of upcoming policy challenges, while giving the BJP a wider political base in Chhattisgarh.

» The new faces in Vishnu Deo Sai's cabinet

Guru Khushwant Das Saheb - MLA, Arang

At 36, Guru Khushwant Das Saheb represents a youthful and educated face in state politics. Son of the revered Satnami spiritual leader Guru Bal Das, he holds an M Tech degree and comes from a background in agriculture and transport. Formerly associated with the Congress, Saheb founded the youth organisation Yuva Shakti Bharat before joining the BJP in 2023. His emphatic victory over senior Congress leader Shivkumar Dahariya by 16,538 votes made him a natural choice for ministerial responsibility. Seen as a bridge between the Satnami community and mainstream politics, Saheb's rise underscores the BJP's social outreach.

Gajendra Yadav - MLA, Durg City

Gajendra Yadav's journey spans from grassroots politics to the assembly. An MA in Political Science, he first entered public life as the youngest-ever corporator in undivided Madhya Pradesh at the age of 21. Closely linked with the RSS, Yadav has held several organisational roles and is credited with major contributions to the Scouts & Guides movement in Chhattisgarh, including initiatives that won national recognition from former President Pranab Mukherjee. His landslide victory over Congress veteran Arun Vora by nearly 49,000 votes marked a generational change in Durg politics. As a prominent OBC leader, his induction is seen as a strategic step to consolidate the Yadav vote bank.

Rajesh Agrawal - MLA, Ambikapur

A businessman-turned-politician, Rajesh Agrawal, emerged as one of the biggest surprise winners in the 2023 polls by defeating Congress stalwart and former Deputy Chief Minister T S Singhdeo by just 94 votes. Belonging to a respected trading family, Agrawal previously held positions in local governance before joining the BJP in 2018. Known for his accessibility and strong grassroots connect, he represents the influential Vaishya community in north Chhattisgarh. His entry into the cabinet underscores the BJP's attempt to strengthen its presence in Surguja, a region long dominated by the Congress.

Disputed Imambara sealed in Madhya Pradesh

SOME ORGANISATIONS HAVE DEMANDED THAT THE BUILDING BE FREED FROM THE TAZIA COMMITTEE'S OCCUPATION AND THAT IT SHOULD BE OPENED FOR PEOPLE OF ALL RELIGIONS TO HOLD CULTURAL AND RELIGIOUS EVENTS THERE.

STATESMAN NEWS SERVICE
BHOPAL, 20 AUGUST

The police and district administration authorities Wednesday sealed a part of a building in the Dhar city in Madhya Pradesh, which was known as 'Imambara' and was under the occupation of the Tazia Committee but is said to belong to the Public Works Department (PWD).

The action was taken at around 3 a.m. and a heavy police force was deployed from four nearby districts along with jawans of the Special Task Force (STF) of the MP Police.

Some Hindu organisations had been alleging for a long time that the 'Imambara' is actually a cultural stage for society, located in one part of the PWD building in Dhar. The protesters had been alleging that the said part had been illegally occupied by the Tazia committee for several years.

They demanded that the portion of the building be freed from the Tazia Committee's occupation and that it should be opened for people of all religions to hold cultural and religious events there.

Following the continued protests, the authorities sealed the Imambara. A notice has been placed on the sealed part, which says that it belongs to the PWD.

PM Modi to visit Bihar, West Bengal tomorrow

STATESMAN NEWS SERVICE
New Delhi, 20 August

Prime Minister Narendra Modi is set to visit Bihar and West Bengal on 22 August, a release from his office said on Wednesday. The visit assumes significance in the backdrop of the upcoming state assembly polls in Bihar and subsequently in West Bengal.

During his visit, Modi will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over Rs 18,000 crore.

In Bihar, he will inaugurate the 8.15 km long Aunta-Simaria bridge project on NH-31, including a 1.86 km long 6-lane bridge on the River Ganga, constructed at a cost of over Rs 1,870 crore. This bridge will provide direct connectivity between Mokama in Patna and Begusarai, reducing travel distance by over 100 km for heavy vehicles.

The Prime Minister will also inaugurate the Buxar Thermal Power Plant (660x1 MW) worth around Rs 6,880 crore, enhancing power generation capacity and improving energy security in the region.

He will inaugurate the state-of-the-art Homi Bhabha Cancer Hospital & Research Centre at Muzaffarpur, providing advanced and affordable cancer care to patients in Bihar and neighboring states.

The Prime Minister will flag off two trains – Amrit Bharat Express between Gaya and Delhi, and the Buddhist Circuit Train between Vaishali and Koderma – boosting tourism and connectivity in the region.

In West Bengal, PM Modi will inaugurate metro railway projects in Kolkata, including a 13.61 km long newly constructed metro network, and flag off metro services on the Noapara-Jai Hind Bimanbandar, Sealdah-Esplanade, and Beleghata-Hemanta Mukhopadhyay routes.

The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 7.2 km long six-lane elevated Kona Expressway worth over Rs 1,200 crore, enhancing connectivity between Howrah, surrounding rural areas, and Kolkata.

FIR against Cong MLA Arif Masood

STATESMAN NEWS SERVICE
BHOPAL, 20 AUGUST:

The police in Bhopal have registered an FIR on Wednesday against Congress MLA from Bhopal, Arif Masood, on charges of allegedly using forged documents to obtain a No Objection Certificate (NOC) and Recognition two decades ago for running the 'Indira Priyadarshini College' in the Khanugaon area of the city.

The FIR has been registered on the strict directives of the Madhya Pradesh High Court. The High Court Bench of Justice Atul Shreedharan and Justice Pradeep Mittal had directed the Bhopal Commissioner of Police to register the FIR against Masood as well as the officials of the MP Higher Education Department who were allegedly involved in providing the recognition to the College through forged papers and also for not taking any action in the matter for the past 20 years.

The Court also ordered to form a Special Investigation Team (SIT) to probe the matter in detail. The three-member SIT has been formed and it is headed by Additional Director General (ADG) of Police, Sanjeev Shami. The Court has directed the SIT to submit its report in 90 days.

The College is operated by the 'Aman Welfare Society' of which Arif Masood is the Secretary.

According to Deputy Commissioner of Police (DCP) Shalini Dixit, the FIR against Masood has been registered at the Koh-e-Fiza Police Station under Sections 420, 467, 468, and 471 of the IPC.

The High Court has also issued orders for a complete ban on new admissions in the College for the next session. However, the Court permitted the College to continue for the current session in the interest of the more than 1000 students currently studying in the institution.

फॉर्म संख्या 3 [नियम–13 (1)(क) देखें]

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल, एससीओ 33–34–45, सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़
(3री और 4थी मंजिल पर अतिरिक्त स्थान आवंटित)

मामला संख्या: OA/817/2025

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत समन

एक्स. संख्या: 26907

पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
सुभान खान, पुत्र हसन खान

समन

सेवा में,
(1)प्रतिवादी नं.1– सुभान खान, पुत्र हसन खान
निवासी: ग्राम महोली, तहसील फिरोजपुर झिरका, जिला मेवात, हरियाणा–122104। प्रतिवादी नं. 1

जैसा कि, OA/817/2025 दिनांक 05/08/2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था।
जैसाकि माननीय अधिकरण ने अधिनियम की धारा 19 (4) के तहत रु. 25,66,163/- (संबंधित दस्तावेजों सहित) की ऋण वसूली हेतु दायर किये गये उक्त आवेदन पर सहर्ष समन/सूचना जारी किया है जिसके अनुसार, आप प्रतिवादी को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:-
(i) समन की सेवा की तिथि से तीस दिन के भीतर यह स्पष्ट करें कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित राहत क्यों न प्रदान की जाए;
(ii) उन संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण दें जो कि आवेदन के मूल प्रपत्र के क्रमांक 3ए में वर्णित संपत्तियों के अतिरिक्त हों;
(iii) जबतक कि संपत्ति की कुर्की का आवेदन लंबित है, आप आवेदन के मूल प्रपत्र के क्रमांक 3ए में वर्णित संपत्तियों या परिसंपत्तियों को बेचने या सौंपने से वंचित रहेंगे;
(iv) आप अधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से, अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर, उन संपत्तियों में से किसी को भी हस्तांतरित नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित बनाया गया है और/या मूल आवेदन की क्रमांक 3ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य आस्तियों और संपत्तियों को भी हस्तांतरित नहीं करेंगे;
(v) आप व्यवसाय के सामान्य क्रम में सुरक्षित आस्तियों या अन्य आस्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय का हिसाब देने और ऐसी बिक्री आय को बैंक या वित्तीय संस्थानों में रखे गए खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसके पास ऐसी आस्तियों पर सुरक्षा हित निर्मित है।
आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें और उसकी एक प्रति आवेदक को दें तथा 09.10.2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन पर एकपक्षीय रूप से सुनवाई तथा निर्णय किया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुहर के तहत दिनांक 16.08.2025 को जारी।

समन जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

सिल्की ओवरसीज लिमिटेड

सीआईएन: U17110DL2016PLC298888
पंजीकृत कार्यालय ए–48, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली–110052
फोन: 9873473891, 9312747584, ईमेल– info@silkoverseas.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाने वाली सिल्की ओव. रसीज लिमिटेड की 9वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के संबंध में सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सिल्की ओवरसीज लिमिटेड (कंपनी) के शेयरधारकों की 09वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को 15.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत जारी नियमों के साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी (इसके बाद सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 और 2/2022 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 05 मई 2022, 28 दिसंबर, 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024, क्रमशः अनुपालन में और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (जिसे आगे सामूहिक रूप से ''सेबी परिपत्र'' कहा जाएगा) द्वारा जारी किए गए परिपत्र संख्या सेबी /एचओ /सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई,2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी,2021,सेबी/एचओ /सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62दिनांक 13 मई, 2022,सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी /सीआईआर/2023 /4दिनांक 5 जनवरी, 2023और सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 के अनुसार, कंपनी की 9वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस में दिए गए अनुसार कारोबार करने के लिए आयोजित की जाएगी।

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, 9वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस और वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास पंजीकृत हैं। 9वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–2025 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.silkyoverseas.com** और स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई इंडिया की वेबसाइट **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध होगी। शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

एजीएम में मतदान का तरीका:
शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर एजीएम के दौरान दूरस्थ रूप से या ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए एजीएम के दौरान दूरस्थ रूप से या ई–वोटिंग का तरीका एजीएम बुलाने की सूचना में प्रदान किया जाएगा।

ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका:
- जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म आईएसआर–1 में विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र और सहायक दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को **info@sky-linerta.com** पर या डी–153ए, प्रथम तल ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020, भारत पर भेजकर अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें। इसके लिए उन्हें फोलियो नंबर और शेयरधारक का नाम और पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति प्रदान करनी होगी।
- डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी शेयरधारकों के लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए परिपत्र(ओं) और सेबी परिपत्र(ओं) के अनुरूप है।

कृते सिल्की ओवरसीज लिमिटेड
हस्ताक्षरकर्ता/–
रेवेल कादियान,
कंपनी सचिव

दिनांक : 21.08.2025
स्थान: नई दिल्ली

रजि. कार्यालय: 410–412,18/12, चौथी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005,
कॉर्पोरेट कार्यालय: 716–717, 7वीं मंजिल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सेक्टर–16, नोएडा, 201301, उत्तर प्रदेश, फोन: +91 120 4290650/52/53/54/55, **ईमेल:** info@cslfinance.in|| Lega@cslfinance.in]
वेब: www.cslfinance.in

CSL Finance Limited

अचल संपत्ति के लिए कब्ज़ा नोटिस
((परिशिष्ट IV) नियम 8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड** (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) का अधिकृत अधिकारी है और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया।
उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर मांगी गई राशि चुकाने में विफल रहे हैं,तदनुसार यहाँ निम्न उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी की ओर से अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8(1) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय जिला मजिस्ट्रेट, सूर्य कांत त्रिपाठी एडीएम(एफ/आर) द्वारा इस अधिनियम की धारा 14 के तहत 29.05.2025 को दिए गए आदेश का अनुपालन करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर(ओं) और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे नीचे उल्लिखित संपत्ति के साथ लेन–देन न करें और उक्त संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन करने पर नीचे उल्लिखित राशि सहित भविष्य में ब्याज कंपनी को पहले प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/सुरक्षा प्रदाता का नाम/ऋण संख्या	मांग सूचना दिनांक और राशि (रुपये में)	भौतिक कब्जे की तिथि
LAN: SMEKRL0005154 **उधारकर्ता/सुरक्षा प्रदाता: अपूर्वा** **सह–उधारकर्ता: परविंदर सिंह** **सभी के पते:** नगला चरणदास, नोएडा फेज–2, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301	**06.06.2025**, **06.06.2025 तक** रु. 21,66,887/– (रुपये इक्कीस लाख छियासठ हजार आठ सौ सत्तासी मात्र)	13.08.2025

सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण: संपत्ति का विवरण: 8.80 वर्ग गज यानि 7.36 वर्ग मीटर भूमि का प्लॉट, वाणिज्यिक दुकान संख्या 103 (भूतल) ब्लॉक बी, वाणिज्यिक परिसर चरण–II के लेआउट प्लान, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर (यूपी) में स्थित है, साथ ही भूमि के उक्त प्लॉट में 100: अविभाजित, अविभाज्य और आनुपातिक स्वामित्व अधिकार/शेयर, सभी अधिकार, सुखाधिकार, विशेषाधिकार, अनुलग्नक जो भी इससे संबंधित या उससे संलग्न या उससे अनुलग्नक हों, फिक्स्चर, विद्युत और स्वच्छता फिटिंग और आवश्यक सुविधाओं के साथ है। (इसके बाद उक्त संपत्ति कहा जाएगा)। अचल संपत्ति की सीमाएं और आयाम निम्नानुसार हैं: शीर्षक दस्तावेजों के अनुसार: उत्तर–स्वयं की संपत्ति, पश्चिम– दुकान संख्या 102, पूर्व: दुकान संख्या 104, दक्षिण– गैलरी और पार्किंग, वास्तविक/तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार: उत्तर–पूर्व अन्य की दुकान, दक्षिण–पश्चिम: प्रवेश, दक्षिण–पूर्व: दुकान संख्या 102, उत्तर–पश्चिम: दुकान संख्या 104

दिनांक: 20.08.2024 हस्ता /– प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: नोएडा, सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड

फॉर्म नंबर 14 [विनियम–33(2)(1)/16(3) देखें]

वसूली अधिकारी – I/II का कार्यालय
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल, एससीओ 33–34–35, सेक्टर–17ए, चंडीगढ़
(3री और 4थी मंजिल पर भी आवंटित)

मांग सूचना

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना।

आरसी/292/2024 01.05.2025

पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
मैसर्स राणा एंटरप्राइजेज

सेवा में,
(सीडी 1) **मैसर्स राणा एंटरप्राइजेज**, जिसका प्रतिनिधित्व उसके मालिक श्री जोगिंदर राणा, पुत्र श्री बोहोरन सिंह, प्लॉट नं. 6, गली नं. 1, संजय कॉलोनी, सेक्टर–23, फरीदाबाद, हरियाणा के माध्यम से
(सीडी 2) **श्री जोगिंदर राणा**, पुत्र श्री बोहोरन सिंह, मैसर्स राणा एंटरप्राइजेज के मालिक, प्लॉट नं. 6, गली नं. 1, संजय कॉलोनी, सेक्टर–23, फरीदाबाद, हरियाणा

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2) के पीठासीन अधिकारी द्वारा ओए/5576/2017 में पारित आदेशों के अनुपालन में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार **रुपये 11,51,598 (रुपये ग्यारह लाख इक्यावन हजार पांच सौ अट्ठानवे मात्र)** की राशि के साथ वसूली तक 30.11.2017 से 11.50% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से छह–मासिक आधार पर अनुपूरक और भविष्य का ब्याज तथा **रु. 42,000 (रुपये बयालीस हजार मात्र)** की लागत देय हो गई है (संयुक्त रूप से और अलग–अलग/पूर्णतः/सीमित)।
2. आपको सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उक्त राशि चुकाने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और इसके अधीन नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपने संपत्तियों का विवरण एक हलफनामे में घोषित करने का निर्देश दिया जाता है।
4. आपको अग्रिम कार्रवाई के लिए 02.09.2025 को सुबह 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
5. इस कार्यवाही के अतिरिक्त, आपको निम्नलिखित राशि का भी भुगतान करना होगा:
(a) इस प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही की सूचना के तुरंत बाद लागू ब्याज।
(b) इस सूचना की सेवा और वारंट तथा अन्य प्रक्रियाओं और बकाया राशि की वसूली के लिए उठाए गए सभी अन्य कदम के संबंधित सभी लागत, शुल्क और व्यय,

दिनांक 01.05.2025 को अधिकरण की मुहर और हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया।

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 11वां तल, टावर ए, पेनिन्सुला बिज़नेस पार्क, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400 013 सीआईएन नंबर: U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ परिशिष्ट–IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, टाटा कैपिटल हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णितानुसार मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें कर्जदारों से सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।**
कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है।
कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार **टाटा कैपिटल हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड के नीचे वर्णित राशि तथा उस पर नीचे वर्णित तिथि से ब्याज तथा दंड–ब्याज, प्रभार, लागतें इत्यादि चुकाने के भार के अधीन होगा।**
कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	आबंधक(कों)/कानूनी वारिस(सों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं तिथि	कब्जे की तिथि
10300581, 10546854	श्री हर्षद जैन उर्फ पुनीत जैन (कर्जदार) और श्रीमती अदिति जैन (सह–कर्जदार) और श्रीमती कमलेश जैन (सह–कर्जदार) और श्री रमेश चंद जैन (सह–कर्जदार) और मैसर्स वर्धमान टेप्स एंड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशक के माध्यम से) (सह–कर्जदार) और श्री ऋषभ जैन (गारंटर)	ऋण खाता संख्या 10300581 के अंतर्गत रुपये 17,13,812/– और ऋण खाता संख्या 10546854 के अंतर्गत रुपये 2,25,192/–, यानी कुल राशि रुपये 19,39,004/– (रुपये उन्नीस लाख उनतालीस हजार चार मात्र) 20 मई 2025 तक	16–08–2025

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सोसायटी निर्मित फ्री होल्ड फ्लैट नंबर बी–1/9, भूतल, कैटेगिरी–एमआईजी, जो जनरल स्टाफ को–ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड के लेआउट प्लान में स्थित है, जिसे वर्तमान में बृज विहार, जोन एच–4/5, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 के रूप में जाना जाता है, 63.63 वर्ग मीटर, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं सहित।

तिथि : 21–08–2025 हस्ता /–, प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नं. 5बीसी–110, वरसिद्धि आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बेंगलुरु–560043 | **वेबसाइट** www.varthana.com,
ईमेल: care@varthana.com, **फोन:** 080–68455777,
शाखा कार्यालय: प्लॉट संख्या: यूनिट संख्या 3, भूतल, पर्ल्स ओमेक्स टावर, प्लॉट बी 1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली – 110034।

कब्जा सूचना [नियम 8(1)] (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड [illegible] के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उधारकर्ताओं/सह–आवेदकों/बंधककर्ताओं को ऋण खाता संख्या **U21DEL-DEL-016240, U22DELDEL-020050,S19DEL-DEL&008713, U20DEL-DEL-014485, U21DEL-DEL-018559** में एक मांग नोटिस दिनांक 29–05–2025 जारी किया। [illegible]

अचल संपत्ति का विवरण: उपहार विलेख दिनांक 21.12.2012, कुल क्षेत्रफल खेवट संख्या 30, खतौनी संख्या 30 खसरा संख्या 61/6/1(6–4) 50/124 भाग अर्थात 2 कनाल 10 मरले और खेवट संख्या 30, खतौनी संख्या 34, खसरा संख्या 62/2/2(2–13), 10(8–15) 74/228 भाग अर्थात 3 कनाल 14 मरले मौजा–मघोट हाला, तहसील – नारनौल (हरियाणा), सचिव श्री विजय पाल पुत्र श्री राम सिंह निवासी जिला नारनौल, हरियाणा 123023 (स्वामी) के माध्यम से उक्त संपत्ति के संबंध में वैध फतेह सिंह स्मारक शिक्षा समिति के पक्ष में। इसके बाद इसे साई संपत्ति के रूप में संदर्भित किया जाएगा और इसकी सीमाएं इस प्रकार होंगी: उत्तरः शिव राम का प्लॉट, दक्षिणः मुकेश का प्लॉट, पूर्वः सड़क, पश्चिमः अन्य प्लॉट।

दिनांक: 21–08–2025 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: तहसील – नारनौल वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
Aditya Birla Capital Limited

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात 362266 कॉर्पोरेट कार्यालय: आर–टेक पार्क, 10वीं मंजिल, निरलॉन कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के पास, गोरेगांव पूर्व–मुंबई–4000063

सेवा में, दिनांक: 21–08–2025
धर्मेन्द्र कुमार,
ग्राम माधोगढ़, पोस्ट गुरौली जहांगीराबाद ग्रामीण,
अनूपशहर बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश – 202394
मोबाइल: 8808724531
ईमेल: adv.amitax@gmail.com
कृपया ध्यान दें: धर्मेन्द्र कुमार
विषय: धोखाधड़ी गतिविधि के लिए कारण बताओ नोटिस
संदर्भ: ऋण खाता संख्या: LDW-M09623-240304110
प्रिय महोदय,
1. यह सूचना आपको, ऊपर उल्लिखित पते पर, आपके द्वारा आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड ("एबीसीएल") पूर्व में आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड, ऋण खाता संख्या LDW-M09623-240304110 से लिए गए व्यक्तिगत ऋण के संदर्भ में जारी की जाती है।

पृष्ठभूमि:
2. यह कि आपने, ऊपर उल्लिखित पते पर, हमारे चौनल पार्टनर फोनपे के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन किया था और तदनुसार, आपको 17/01/2024 को 33.20 ब्याज दर पर 2,50,000/– रुपये का व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसका भुगतान 18/01/2024 से शुरू होकर 10/07/2025 को समाप्त होने वाली दैनिक किश्तों में, आपके साथ 17/01/2024 को निष्पादित मानक नियमों और शर्तों के तहत अधिक विशिष्ट रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर किया जाना था।

शिकायतकर्ता
3. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीड़ित) से 25.04.2025 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कहा गया था कि एबीसीएल से ऋण खाता संख्या LDW-M09623-240304110 के अंतर्गत 2,50,000/– रुपये का व्यक्तिगत ऋण उनके सिबिल रिकॉर्ड में दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने न तो ऐसे किसी ऋण के लिए आवेदन किया है और न ही उसका लाभ उठाया है।

जांच और निष्कर्ष
4. उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर, हमने मामले में एक विस्तृत आंतरिक जोखिम मूल्यांकन जांच की। इसके अनुसरण में यह पाया गया कि उपर्युक्त ऋण प्राप्त करते समय आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया पैन कार्ड संख्या CFFPK3747C एक जाली दस्तावेज है। उक्त पैन कार्ड पर लगी तस्वीर फर्जी है। यह एबीसीएल के रिकॉर्ड में मौजूद सेल्फी तस्वीर से मेल नहीं खाती। इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि आपके द्वारा प्रस्तुत विवरण जैसे जन्म तिथि, पिता का नाम, आवासीय पता और मोबाइल नंबर भी पैन कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी के पास उपलब्ध उक्त पैन कार्ड नंबर से संबंधित विवरणों से मेल नहीं खाते हैं।
5. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आप, उधारकर्ता ने दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ एबीसीएल से ऋण प्राप्त करते समय हेरफेर किए गए, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस तरह की गतिविधियाँ जालसाजी और सूचना को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के बराबर हैं और न केवल आपके द्वारा निष्पादित मानक नियमों और शर्तों में उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि लागू कानूनों का भी उल्लंघन करती हैं।
6. एक उधारकर्ता के रूप में, आपको कानूनी और नियामक मानकों का पालन करना आवश्यक है। आपके द्वारा झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत करना स्पष्ट रूप से एबीसीएल को नुकसान पहुंचाने के आपके इरादे को दर्शाता है।
7. हमारी नीतियों और आरबीआई द्वारा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर दिनांक 15.07.2024 संख्या RBI/DOS/2024-25/120 DOS. CO. FMG. SEC. No.7/23.04.001/2024-25 के मास्टर निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, आपको एक विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा जाता है या आप इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 21 दिनों के भीतर अपने जवाब को उचित ठहराने वाले सहायक दस्तावेजों के साथ शारीरिक रूप से उपस्थित होकर ऊपर उल्लिखित विसंगतियों के बारे में अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं।
8. निर्धारित समय सीमा के भीतर इस नोटिस का जवाब देने में विफल रहने पर हम यह मान लेंगे कि आपके पास देने के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है, और हम आपके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे, जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करना शामिल है, लेकिन यह उस तक ही सीमित नहीं है।
9. हम आपको सलाह देते हैं कि किसी भी कानूनी परिणाम से बचने के लिए इस मामले पर अत्यंत गंभीरता और तत्परता से विचार करें।

भवदीय,
कृते आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
Aditya Birla Capital Limited

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात 362266, **कॉर्पोरेट कार्यालयः** आर–टेक पार्क, 10वीं मंजिल, निरलॉन कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के पास, गोरेगांव पूर्व–मुंबई–4000063

सेवा में , दिनांक: 21–08–2025
चंदन कुशवाहा,
69 नई गल्ला मंडी रोड,
लक्ष्मी झांसी, उत्तर प्रदेश – 284002
मोबाइल: 8808724531
ईमेल: **nitingpt285@gmail.com**
कृपया ध्यान दें: चंदन कुशवाहा
विषय: धोखाधड़ी गतिविधि के लिए कारण बताओ नोटिस
संदर्भ: ऋण खाता संख्या: **LDW-M09623-240281019**
प्रिय महोदय,
1. यह सूचना आपको, ऊपर उल्लिखित पते पर, आपके द्वारा आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (''एबीसीएल'') पूर्व में आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड, ऋण खाता संख्या स्वे.09623–240281019 से लिए गए व्यक्तिगत ऋण के संदर्भ में जारी की जाती है।

पृष्ठभूमि:
2. यह कि आपने, ऊपर उल्लिखित पते पर, हमारे चौनल पार्टनर जेस्ट मनी के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन किया था और तदनुसार, आपको 06/12/2023 को 33.20: ब्याज दर पर 1,69,000/– रुपये का व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसका भुगतान 07/12/2023 से शुरू होकर 29/05/2025 को समाप्त होने वाली दैनिक किश्तों में, आपके साथ 06.12.2023 को निष्पादित मानक नियमों और शर्तों के तहत अधिक विशिष्ट रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर किया जाना था।

शिकायतकर्ता
3. श्री चंदन कुशवाहा (पीड़ित) से 14.04.2025 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कहा गया था कि एबीसीएल से ऋण खाता संख्या LDW-M09623-240281019 के अंतर्गत 1,69,000/– रुपये का व्यक्तिगत ऋण उनके सिबिल रिकॉर्ड में दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने न तो ऐसे किसी ऋण के लिए आवेदन किया है और न ही उसका लाभ उठाया है।

जांच और निष्कर्ष
4. उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर, हमने मामले में एक विस्तृत आंतरिक जोखिम मूल्यांकन जांच की। इसके अनुसरण में यह पाया गया कि उपर्युक्त ऋण प्राप्त करते समय आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया पैन कार्ड संख्या ठज्ञ्च्ह्ल7327छ एक जाली दस्तावेज है। उक्त पैन कार्ड पर लगी तस्वीर फर्जी है। यह एबीसीएल के रिकॉर्ड में मौजूद सेल्फी तस्वीर से मेल नहीं खाती। इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि आपके द्वारा प्रस्तुत विवरण जैसे जन्म तिथि, पिता का नाम, आवासीय पता और मोबाइल नंबर भी पैन कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी के पास उपलब्ध उक्त पैन कार्ड नंबर से संबंधित विवरणों से मेल नहीं खाते हैं।
5. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आप, उधारकर्ता ने दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ एबीसीएल से ऋण प्राप्त करते समय हेरफेर किए गए, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस तरह की गतिविधियाँ जालसाजी और सूचना को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के बराबर हैं और न केवल आपके द्वारा निष्पादित मानक नियमों और शर्तों में उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि लागू कानूनों का भी उल्लंघन करती हैं।
6. एक उधारकर्ता के रूप में, आपको कानूनी और नियामक मानकों का पालन करना आवश्यक है। आपके द्वारा झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत करना स्पष्ट रूप से एबीसीएल को नुकसान पहुंचाने के आपके इरादे को दर्शाता है।
7. हमारी नीतियों और आरबीआई द्वारा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर दिनांक 15.07.2024 संख्या **RBI/DOS/2024-25/120 DOS. CO. FMG. SEC. No.7/23.04.001/2024-25** के मास्टर निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, आपको एक विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा जाता है या आप इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 21 दिनों के भीतर अपने जवाब को उचित ठहराने वाले सहायक दस्तावेजों के साथ शारीरिक रूप से उपस्थित होकर ऊपर उल्लिखित विसंगतियों के बारे में अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं।
8. निर्धारित समय सीमा के भीतर इस नोटिस का जवाब देने में विफल रहने पर हम यह मान लेंगे कि आपके पास देने के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है, और हम आपके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे, जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करना शामिल है, लेकिन यह उस तक ही सीमित नहीं है।
9. हम आपको सलाह देते हैं कि किसी भी कानूनी परिणाम से बचने के लिए इस मामले पर अत्यंत गंभीरता और तत्परता से विचार करें।

भवदीय,
कृते आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।

BLACK OPAL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
CIN: U65999DL2018PTC328790
Regd. Office: Shop No 8, Ground Floor, C.S.C. A.G.C.R Enclave, New Delhi-110092
Tel. No.0120-5109230 | Email : info@blackopalgroup.in | Website : www.blackopalgroup.in

JOINT PUBLIC NOTICE

This notice is being issued jointly by Black Opal Financial Services Private Limited (**"the Company"**) along with Mr. Sahil Goyal, Sahil Goyal HUF, Mr. Ankit Agnihotri and Mr. Raj Narayan Sharma (**"Investors"**) in compliance with para 42.3 of the Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions 2023, bearing reference no. DoR.FIN.REC.No.45/03.10.119/2023-24 issued by the Reserve Bank of India (**"RBI"**) dated October 19, 2023 (as updated from time to time) and as advised by the RBI's Department of Regulation, Delhi vide their letter dated 13th August, 2025 regarding approval for change in management and control.

Background: The Company is a private limited company registered as a non-deposit taking Non-Banking Financial Institution registered with the Reserve Bank of India (**"RBI"**) by way of a certificate of registration bearing number N-14.03446, having corporate identity number U65999DL2018PTC328790 and having its registered office at Shop No. 8, Ground Floor, C.S.C. A.G.C.R Enclave New Delhi-110092. The investors are individuals and HUF who intends to take over the management and control of the Company.

Change in the Management and Control: The Investors proposes to acquire entire 100% shareholding of the Company held by Mr. Prasoon Chauhan and Mr. Ishan Agarwal (**"the Outgoing Shareholders"**) holding 19,85,040 equity shares (being 63.93% of the total equity share capital) and 11,19,960 equity shares (being 36.07% of the total equity share capital). Further, Mr. Sahil Goyal (DIN: 06396357) and Mr. Ankit Agnihotri (DIN: 09517663) (collectively referred to as **"the Proposed Directors"**) shall be appointed as a Director of the Company in place of the resigning directors Mr. Prasoon Chauhan (DIN: 07847732) and Mr. Ishan Agarwal (DIN: 07321845) (collectively referred to as **"the Outgoing Directors"**).

The rationale for the proposed change in management and control includes an investment opportunity for the proposed investors that is consistent with their strategy of investing in high quality businesses in attractive segments, including in the financial services sector and for the Company to bring in expertise and experience of proposed new investors/directors in the Company and expand the finance business of the Company.

The proposed change in management and control will result in a change of more than 26% of the shareholding of the Company and change of more than 30% of the directors of the Company, thus requiring prior approval of RBI in terms of para 42 of Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023.

RBI Approval: In terms of the Directions, the RBI has, by way of its letter dated 13th August, 2025 issued to the Company bearing reference no. DEL.DOR.NBFCBL.No. S334/24-03-301/2025-2026, provided its prior written approval for the proposed change in management and control.

The proposed change in management and control will be effected upon fulfillment of various agreed upon conditions precedent and the expiry of 30 days from the date of publication of this public notice as per para 42.3 of the said Directions.

Any person seeking any clarification(s) and/ or having any objection(s) to the proposed change in management and control may write to the Company within 30 (thirty) days from the date of this notice, addressed to Mr. Prasoon Chauhan, Director at the registered office address of the Company or email at info@blackopalgroup.in.

A copy of this notice is also available on the website of the company at www.blackopalgroup.in.

Date: 21.08.2025
Place: Delhi

Sd/-	Sd/-
For Black Opal Financial Services Private Limited	Sahil Goyal

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Sahil Goyal HUF	Ankit Agnihotri	Raj Narayan Sharma

Cigniti

सिग्निटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

CIN: L72200HR1998PLC129027
पंजी. कार्यालयः प्लॉट नंबर 13, उद्योग विहार, फेज–2, सेक्टर–18, पालम रोड, गुरुग्राम - 122015, हरियाणा, भारत
फोन : 0124–4627837
ईमेल : CT_Company.Secretary@coforge.com
वेबसाइट : www.cigniti.com

27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सिग्निटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की 27वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') **बृहस्पतिवार, सितंबर 25, 2025 को अप. 5:00 बजे** कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 और नवीनतम परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांकित 19 सितंबर, 2024 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र, जिनमें नवीनतम परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांकित 03 अक्टूबर, 2024 ("सेबी परिपत्र") और कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित तदधीन विरचित नियमों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा ('वीसी')/या अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट सहित, एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, केवल उन सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से नियत समय पर भेजी जाएगी जिनका ईमेल पता कम्पनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट **https://Cigniti.com**, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, नामतः बीएसई लिमिटेड (**https://www.bseindia.com/**) और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (**https://www.nseindia.com/**) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट **https://www.evotingindia.com/** पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने और रिमोट ई–वोटिंग में भाग लेने या ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम में वोट डालने के अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। इस सूचना में भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर्स के धारक उन शेयरधारकों के लिए लॉगइन क्रेडेंशियल के संबंध में भी अनुदेश दिए गए हैं, जिनके द्वारा कम्पनी अथवा अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने भौतिक शेयरों को अभौतिक (डीमैटेरियलाइज्ड) में परिवर्तित करने और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिम समाप्त करने पर विचार करें।

ईमेल पता और बैंक विवरण के पंजीकरण की प्रक्रिया :
जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे **(i)** संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीमैटेरियलाइज्ड शेयरों के मामले में) अथवा **(ii)** कम्पनी से **CT_Company.Secretary@coforge.com** पर अथवा आरती कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') (भौतिक शेयरों के मामले में) से **info@aarthiconsultants.com** पर फार्म आईएसआर–1 (कम्पनी की वेबसाइट **https://www.cigniti.com/** पर उपलब्ध है) में एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, पैन कार्ड और पते के प्रमाण की स्व–सत्यापित प्रति और उक्त फॉर्म में दिए गए अन्य दस्तावेजों के साथ भेजकर अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करें।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना नाम, डाक पता, ईमेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, प्राधिकार पत्र, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तनों की सूचना, यदि कोई हो, तो अपने डीपी को सूचित करें यदि उनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और आरती कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") को सूचित करें यदि उनके शेयर भौतिक रूप में हैं तो निर्धारित फॉर्म आईएसआर–1 और सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांकित 3 नवंबर, 2021, SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/687 दिनांकित 14 दिसंबर, 2021 के साथ पठित सेबी मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 दिनांकित 23 जून, 2025 और समय–समय पर जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसरण में अन्य फार्म में सूचित करें।

किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्यगण **CT_Company.Secretary@coforge.com** में Investor Services को अथवा **info@aarthiconsultants.com** को लिख सकते हैं।

नोट : कम्पनी ने 15 नवंबर, 2025 से आरती कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर मैसर्स एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अपना रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट नियुक्त किया है। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे 15 नवंबर, 2025 तक किसी भी पत्राचार के लिए आरती कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से सम्पर्क करें और उसे एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को डाक से भेजें।

कृते सिग्निटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
हस्ता./–
नागा वसुधा
कम्पनी सचिव
एसीएसः 23711

दिनांक : अगस्त 20, 2025
स्थान : हैदराबाद

सेल SAIL

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

इस्पात भवन, लोधी रोड
नई दिल्ली 110003
टेली: +91 11 24367481-86; फैक्स: +91 11 24367015
CIN: L27109DL1973GOI006454
वेबसाइट: www.sail.co.in; ईमेल:investor.relation@sail.in

53वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम के नोटिस में दिए गए अनुसार निर्धारित व्यवसाय को करने हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 53वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा मंगलवार,दिनांक 16 सितंबर, 2025 को, 1030 बजे (आईएसटी) पर किया जाएगा।

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों (जिन्हें सामूहिक रूप से "लागू परिपत्रों" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार, एजीएम को, सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत लागू नियमों के साथ पठित लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम का आयोजन, मेसर्ज नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड द्वारा प्रदान वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है। शेयरधारक/सदस्य **केवल** वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं जिनके विवरण एजीएम के नोटिस में प्रदान किए गए हैं। इसलिए, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सदस्यों का कंपनी की 53वीं एजीएम में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना/सहभागिता करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

लागू परिपत्रों के अनुसरण में, **31 मार्च, 2025** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटेड वित्तीय विवरण (समेकित वित्तीय विवरणों सहित) और इस पर ऑडिटरों तथा बोर्ड की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित अन्य दस्तावेजों को, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे शेयरधारकों/सदस्यों को भेजा जाएगा जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी)/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत किया है। सटीक पथ सहित वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र, जहां 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना उन शेयरधारकों/सदस्यों को भेजी जाएगी, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी)/कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट- **www.sail.co.in** और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.nseindia.com** और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध होगी।

ईमेल पता दर्ज/अद्यतन करने का तरीका:
(ए) कंपनी के भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले वे सदस्य, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराने के लिए मेसर्स **MCS शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (RTA)** से संपर्क करें। इसके लिए वे अपना नाम, फोलियो संख्या के विवरण और पैन कार्ड, आधार कार्ड और शेयर प्रमाणपत्र (ओं) की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर **admin@mcsregistrars.com** को भेज दें। आरटीए का पता: **एफ-179-180, तीसरी मंजिल, डीएसआईडीसी शेड, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- I, नई दिल्ली -110020 है। फोन संख्या 011-41406149 है।**

(बी) डिमेटेरियल रूप में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे उस डीपी के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें, जिनके पास उनका डीमैट खाता है।

ई-वोटिंग के द्वारा मतदान करने की विधि
सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे एजीएम के नोटिस में सूचीबद्ध मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान उन सदस्यों को भी उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने पहले दूरस्थ ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं डाला है।
कंपनी ने अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए "नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL)" की सेवाओं को, अधिकृत एजेंसी के रूप में, प्रयोग किया है। दूरस्थ ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान मतदान) के विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।
ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल ईमेल के माध्यम से सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होते हैं या जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुसार लॉगिन क्रेडेंशियल सृजित कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी उन्हीं लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना है।

जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते के विवरणों को अद्यतन नहीं किया है, वे निम्न प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
(सी) भौतिक रूप में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य: (i) सदस्य (ओं) के नाम, फोलियो संख्या, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम और पता, IFSC MICR विवरण) सहित हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, रद्द किए गए चेक का पन्ना); (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति; (iii) कंपनी के पास पंजीकृत सदस्य के पते के समर्थन में आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या चुनाव पहचान पत्र या पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रति; आरटीए को जमा करें।

(डी)डीमैट रूप में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य, आवश्यकतानुसार, बैंक विवरण और अन्य दस्तावेजों के साथ अनुरोध पत्र, अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास, प्रस्तुत कर सकते हैं।

पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण आदि प्रस्तुत करना
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने अपने मास्टर परिपत्र संख्या **SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/70** दिनांक **17 मई, 2023** और संशोधित परिपत्र संख्या **SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/181** दिनांक **17 नवंबर, 2023** के माध्यम से भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों को अपना पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके फोलियो के विरुद्ध नमूना हस्ताक्षर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। 01 अप्रैल, 2024 से, उपरोक्त परिपत्र की आवश्यकताओं के अनुपालन के बाद, ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। सेल द्वारा अपने आरटीए के माध्यम से शेयरधारकों को एक सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और आवश्यकताओं का अनुपालन करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाएगा।

बही बंद , निर्धारित तिथि और लाभांश
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के एजीएम के उद्देश्य के लिए सदस्यों का रजिस्टर 10 सितंबर, 2025 से 16 सितंबर, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक बंद कर दिया जाएगा। वित वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित रिकॉर्ड तिथि पर पात्र सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से इसकी घोषणा से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर स्रोत पर आयकर (टीडीएस) की कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा, जिनके अद्यतन बैंक खाते के विवरण उपलब्ध हैं। रिकॉर्ड तिथि उचित समय पर सूचित कर दी जाएगी।
सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
(एम.बी. बालाकृष्णन)
कार्यपालक निदेशक (वित्त)
एवं कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 अगस्त, 2025